

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.10(147)नविवि/3/2008 पार्ट-III

जयपुर, दिनांक: 01 FEB 2022

**आदेश**

टेलीकॉम सेवाओं को आमजन की मूलभूत सेवाओं के दृष्टिगत मानते हुए इसे प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2017 के बिन्दु संख्या 10. 2 (d) व (e) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(d) The licensee shall deposit Rs. 1,000/- per pole annually to the local body for use of street light poles to carry OFC/Aerial Cabling.

(e) The annual rent for putting up manhole/chamber on the OFC route shall be charged as :-

(i) Rs 2000/- per mahhole/Chamber at District Headquarters.

(ii) Rs 1000/- per manhole/Chamber in other Towns.

Any other Charges shall not, however, be levied for putting up chambers.

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गायक)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम